अशोक कुमार नवरत्न
सदस्य

Ashok Kumar Navratan
Member

सत्यमेव जयते
भारतीय प्रेस परिषद
PRESS COUNCIL OF INDIA

भारतीय प्रेस परिषद्
PRESS COUNCIL OF INDIA
सूचना भवन, 8 सी.जी.ओ. कॉम्पलेक्स
लोदी रोड़, नई दिल्ली–110 003
Soochna Bhawan, 8 CGO Complex,
Lodhi Road, New Delhi-111 003
Resi.: Mitra Nagar, Gular Road,
Aligarh- 202001 U.P.
Mob. No. 9412274763, 9140545534
Email: ashoknavratan@gmail.com

Ref. PCI/2020-96

05 February 2021

सेवा में,

माननीय अध्यक्ष जी,

भारतीय प्रेस परिषद, नई दिल्ली

माननीय अध्यक्ष जी,

अवगत कराना है कि पिछले करीब ढाई महीने से देश की राजधानी दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर किसान कानूनों के विरोध में विभिन्न किसान संगठनों द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। इसकी कवरेज के लिए देश के विभिन्न समाचार माध्यम समूह के द्वारा कवरेज करने का काम निरंतर किया जा रहा है। 26 जनवरी 2021 की घटना के बाद से पत्रकारों को अपने कार्य करने में लगातार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पत्रकारों को कवरेज करने के लिए कई कई किलोमीटर पैदल चलकर आंदोलन स्थल तक कवरेज हेतु पहुंचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस, स्थानीय राज्य पुलिस, प्रशासन व अन्य के द्वारा पत्रकारों के साथ किसी भी तरह का मानवीय व्यवहार नहीं किया जा रहा है। देश के विभिन्न समाचार पत्र संगठनों और पत्रकारों के द्वारा मुझे अवगत कराया गया है कि पत्रकारिता के कार्य में उन्हें बेहद परेशानी उठानी पड़ रही है। यहां तक की दिल्ली पुलिस, स्थानीय राज्य पुलिस, प्रशासन व अन्य के द्वारा किसी भी प्रकार की नियमित प्रेस ब्रीफिंग की व्यवस्था भी नहीं की गई है, जिसके कारण कई बार पुष्ट समाचार पाने के लिए पत्रकारों को समस्या का सामना करना पड़ा रहा है। ऐसे में खबरों की विश्वसनीयता भी संदेह के घेरे में आ जाती है। इन कारणों को ध्यान में रखते यह जरूरी हो जाता है कि केंद्रीय सरकार के गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस के कमिश्नर, दिल्ली सीमा से लगने वाले राज्य हरियाणा और उत्तर प्रदेश के पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारियों को निर्देश दिया जाए कि वह कम से कम दिन में दो बार प्रेस ब्रीफिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करें। इसके अलावा सीमा क्षेत्र में किसान आंदोलन तक पत्रकारों के निर्बाध आवागमन की व्यवस्था और पत्रकारों के कार्य के लिए इंटरनेट व अन्य व्यवस्था बनाना भी सुनिश्चित किया जाए।

आपका ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (अ) के तहत प्रेस को स्वतंत्रता प्रदान की गई है। प्रेस की स्वतंत्रता के संबंध में माननीय सर्वोच्चय अदालत ने भी कई आदेश विगत वर्षो में पारीत किए है। बेहद संवेदनशील है इसलिए इस पर आपके तत्काल निर्णय लेने की जरूरत है।

अतः आप से अनुरोध है कि कृपया इस संबंध में उचित आदेश पारित करते हुए प्रेस की स्वतंत्रता बनाए रखने की दिशा में सार्थक कदम उठाने की कृपा करें।

सादर !

(अशोक कुमार नवरत्न)
सदस्य